SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
designation of the state of the
Case No
Name and address of the Complainant 1212
Was Market Company of the Company of
2910). 51. 4110/0/42
Name , parentage, caste and address of accused
J/211 2 1-118 81
1211 2, 1218 8/2 2121 2141 324 43 241 CH
12) E1,27/421 (VSIC) 40
211 701
to the first of the property of the first section of the second
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आपने दिनांक 25 /०३/१७ को समय लगमग 2.00 बजे, स्थान का का वाहन कि माठद०वि० की धारा 2.50 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय
क्या आपको जन्म अपन
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार हैं या प्रतिरक्षा चाहते हो।
Judicial Names of the Control of the
The plea of the acquired - 11:
जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।
The de
Indicint requirements
The offence proved. If any and in case under class (1)
The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक 26 7/7 को धोषित)

	01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भौठद0विठ की धार
1	27) के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
	02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व
	दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते
	हुये आरोपी को भा.द.वि. की धारा
	के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भादवि० की
	धारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की
	सजा एवं रूपये 1000/ (200 हजार अर्थदण्ड से
	दाण्डत किया जीती है।
	03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दषा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के
art.	साधारण कारावास से भुगताया जावे।
-0.2	04. जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन दुक क0 MP => HBOS =>
	उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुरुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील
	की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate de a sign